

उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा जिला नारा (बारा)

क्रमांक 70/25

दिनांक 25.9.25

निर्णय :-

प्राप्ति श्री उर्मिला बारी ... रमेशचन्द्र ...
 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सागोडा ...
 जिला बारा की चालू जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 33 ...
 ग्राम/जाति चमार अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसो सम्मानजनक रूप से
बैरवा अंकित किया जावे। प्राप्ति के आवेदन पत्र की जात पटवारी दिलोड
 से करवाने पर पटवारी ने जाति चमार के बजाय बैरवा
 करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में
 के बजाय बैरवा करना उचित बताया। जाति चमार
 अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रा. 136 राजस्थान मूराजस्त अधिनियम 1957
 एवं नियम 369 राजस्थान मूराजस्त (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
 ग्राम सागोडा के खाता संख्या 33 में खातेदार गैरखातेदार का ग्राम/जाति चमार
 के स्थान पर सम्मानजनक रूप से बैरवा दर्ज करने का
 आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार गजसत रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
 (Land Record Officer)
 छबड़ा जिला नारा
 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)